International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN:2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555&I2OR: 5.105), Volume 08, No. 03(I), July-September, 2026, pp. 90-95

धार जिले की महिला बंदियों के विधिक अधिकार चुनौतियाँ एवं समाधान

Shobha Raghuvanshi*

Ph.D. Scholar, Department of Law, Vikram Vishwavidyalay, Ujjain, Madhya Pradesh.

*Corresponding Author: rshobha114@gmail.com

Citation: Raghuvanshi, S. (2026). धार जिले की महिला बंदियों के विधिक अधिकार चुनौतियाँ एवं समाधान. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(03(I)), 90–95. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.3(I).9229

सार

भारत में महिला बंदियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, किन्तु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा विधिक अधिकारों की उपेक्षा आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के धार जिले की महिला बंदियों के संदर्भ में उनके विधिक अधिकारों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 39(क), जेल अधिनियम, 1894, आदर्श कारागार नियमावली, 2016, संयुक्त राष्ट्र के बैंकॉक नियम तथा उच्चतम न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर महिला बंदियों के अधिकारों का अध्ययन किया गया है। शोध में धार जिले की कारागारों में स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों की देखभाल, निःशुल्क विधिक सहायता, लैंगिक सुरक्षा तथा पुनर्वास की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विधिक प्रावधान पर्याप्त होने के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी सौ प्रतिशत अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। अंत में महिला बंदियों के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनके सामाजिक पुनर्वास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

शब्दकोश: *विधिक अधिकार, शोध पत्र, लैंगिक सुरक्षा, बैंकॉक नियम, सामाजिक पुनर्वास, विधिक सहायता।*

प्रस्तावना

भारतीय कारागार व्यवस्था का विकास मुख्यतः पुरुष बंदियों को ध्यान में रखकर हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप महिला बंदियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की लंबे समय तक उपेक्षा होती रही। मध्य प्रदेश का धार जिला सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ गरीबी, अशिक्षा, घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता तथा सामाजिक पिछड़ापन अनेक महिलाओं को अपराध की परिस्थितियों तक पहुँचा देता है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश में महिला बंदियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है तथा उनमें अधिकांश विचाराधीन बंदियाँ हैं। धार जिले की कारागारों में भी यही स्थिति देखने को मिलती है।

महिला बंदियों की आवश्यकताएँ पुरुष बंदियों से भिन्न होती हैं। उन्हें मातृत्व, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल तथा सम्मानजनक जीवन से संबंधित विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जो कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होता है।

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

उच्चतम न्यायालय ने शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जैसे मामलों में महिला बंदियों तथा उनके बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश प्रदान किए हैं। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य धार जिले की महिला बंदियों के विधिक अधिकारों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना, उनकी समस्याओं का विश्लेषण करना तथा उनके समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है।

साहित्य समीक्षा

महिला बंदियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में यह पाया गया है कि विधिक प्रावधानों के बावजूद उनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक कमियाँ विद्यमान हैं। महिला बंदियों के अधिकारों पर आधारित विभिन्न शोधों में संवैधानिक संरक्षण, कारागार सुधार तथा पुनर्वास संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2010 में स्वीकृत बैंकॉक नियम महिला बंदियों के लिए पृथक तथा संवेदनशील कारागार व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देते हैं। इन नियमों में स्वास्थ्य सेवाएँ, मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व संरक्षण, बच्चों की देखभाल, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा तथा पुनर्वास को विशेष महत्व दिया गया है।

भारत में जेल अधिनियम, 1894 के अंतर्गत महिला बंदियों को पुरुष बंदियों से पृथक रखने का प्रावधान किया गया है। आदर्श कारागार नियमावली, 2016 में महिला कारागारों के संचालन, स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता, गोपनीयता, मातृत्व संरक्षण तथा बच्चों के पालन–पोषण से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

धार जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर कारागार भ्रमण, विधिक जागरूकता शिविर तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु इन प्रयासों का लाभ प्रत्येक महिला बंदी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला नियम तथा बैंकॉक नियम महिला बंदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानक माने जाते हैं। विभिन्न भारतीय अध्ययनों में यह निष्कर्ष सामने आया है कि महिला बंदियों को स्वास्थ्य सुविधाओं, मानसिक परामर्श, रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा सामाजिक पुनर्वास की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। धार जिले के संदर्भ में स्वतंत्र शोध अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हैं, जिससे इस अध्ययन की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है।

विधिक ढाँचा

भारतीय विधि व्यवस्था महिला बंदियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पर्याप्त संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधान प्रदान करती है। कारागार में निरुद्ध होने के पश्चात भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पूर्णतः समाप्त नहीं होते, बल्कि विधि द्वारा लगाए गए युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन सुरक्षित रहते हैं। महिला बंदियों के संबंध में यह सिद्धांत और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्हें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा पारिवारिक स्तर पर विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है।

- **संवैधानिक प्रावधान**

अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार महिला बंदियों पर भी समान रूप से लागू होता है।

अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। इसी संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर महिला बंदियों के लिए पृथक आवास, विशेष स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा मातृत्व संबंधी संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया है कि कारागार में रहने वाला व्यक्ति भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 39(क) आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। इसी आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- **वैधानिक प्रावधान**

जेल अधिनियम, 1894 में महिला बंदियों को पुरुष बंदियों से पृथक रखने, उनकी सुरक्षा तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिला की तलाशी केवल महिला अधिकारी द्वारा लिए जाने तथा महिलाओं की गरिमा की रक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

आदर्श कारागार नियमावली, 2016 में महिला बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता, मासिक धर्म संबंधी सुविधाओं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के पालन–पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, गोपनीयता तथा पुनर्वास से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

- **अंतरराष्ट्रीय मानक**

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत **बैंकॉक नियम, 2010** महिला बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, लैंगिक गरिमा, स्वास्थ्य सेवाओं, मानसिक परामर्श, बच्चों की देखभाल तथा पुनर्वास को विशेष महत्व देते हैं।

इसी प्रकार **नेल्सन मंडेला नियम** कारागार प्रशासन के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण करते हैं तथा प्रत्येक बंदी के मानवीय अधिकारों के संरक्षण पर बल देते हैं।

धार जिले की कारागारों में इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन मध्य प्रदेश जेल विभाग, जिला प्रशासन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वित प्रयासों पर निर्भर करता है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः सैद्धान्तिक (विधिक) अनुसंधान तथा क्षेत्राधारित विश्लेषण पर आधारित है।

अध्ययन में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोतों में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आँकड़े, मध्य प्रदेश जेल विभाग की उपलब्ध रिपोर्टें, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियों से संबंधित अभिलेख तथा कारागार प्रशासन से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन किया गया है।

द्वितीयक स्रोतों में संविधान, विभिन्न अधिनियम, न्यायालयों के निर्णय, शोध लेख, शोध प्रबंध, पुस्तकें, सरकारी प्रतिवेदन तथा अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन में धार जिले की कारागारों की परिस्थितियों का विश्लेषण उपलब्ध आँकड़ों तथा सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत धार जिला जेल के जेल अधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से साक्षात्कार एवं चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। महिला बंदियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार जेल प्रशासनिक एवं व्यावहारिक कारणों से सीमित संख्या में ही संभव हो सके।

धार जिला जेल की वर्तमान स्थिति एवं प्रमुख चुनौतियाँ

धार जिला जेल में केवल विचाराधीन महिला बंदियों को रखा जाता है। दोषसिद्ध महिला बंदियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के पश्चात केन्द्रीय जेल, इंदौर स्थानांतरित कर दिया जाता है। धार जिले में महिलाओं के लिए पृथक महिला जेल उपलब्ध नहीं है, बल्कि पुरुष जिला जेल परिसर में महिला बैरक (महिला प्रकोष्ठ) की व्यवस्था की गई है। इसी कारण केन्द्रीय जेलों की तुलना में कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उत्पादन इकाइयों तथा आर्थिक पुनर्वास संबंधी गतिविधियाँ सीमित हैं।

- **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ**

महिला बंदियों को नियमित स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा प्रत्येक समय उपलब्ध नहीं हो पाती। गर्भवती महिलाओं की विशेष चिकित्सा, पौष्टिक भोजन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं में भी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं।

- **बच्चों की देखभाल**

विधि के अनुसार छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को अपनी माता के साथ कारागार में रहने की अनुमति है, किन्तु उनके पोषण, शिक्षा, खेलकूद तथा समुचित विकास के लिए आवश्यक संसाधन सीमित पाए जाते हैं।

- **निःशुल्क विधिक सहायता**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विधिक सहायता शिविर आयोजित किए जाते हैं, किन्तु अनेक महिला बंदियाँ अपने प्रकरण की प्रगति, जमानत अथवा उपलब्ध विधिक उपायों से पूर्णतः परिचित नहीं हो पातीं। परिणामस्वरूप विचाराधीन बंदियों की अवधि अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है।

- **सुरक्षा एवं गोपनीयता**

महिला बंदियों की सुरक्षा तथा गरिमा बनाए रखने के लिए पृथक व्यवस्था आवश्यक है। कई बार गोपनीयता, सम्मानजनक व्यवहार तथा मानसिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ सामने आती हैं।

पुनर्वास संबंधी समस्याएँ

धार जिला जेल में केवल विचाराधीन महिला बंदियों के रहने के कारण दीर्घकालीन कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगारपरक गतिविधियों का संचालन सीमित है। दोषसिद्ध महिला बंदियों को केन्द्रीय जेल, इंदौर स्थानांतरित कर दिए जाने के कारण अधिकांश पुनर्वास कार्यक्रम वहीं संचालित होते हैं। फलस्वरूप विचाराधीन महिला बंदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाले कार्यक्रम अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हो पाते हैं।

विश्लेषण एवं चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में महिला बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संवैधानिक, वैधानिक तथा अंतरराष्ट्रीय प्रावधान उपलब्ध हैं, किन्तु उनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक बाधाएँ विद्यमान हैं। धार जिले की कारागारों की स्थिति का अध्ययन यह दर्शाता है कि अधिकांश महिला बंदियाँ आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित हैं। इसके कारण वे अपने विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं कर पातीं।

उच्चतम न्यायालय ने **हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य** के निर्णय में शीघ्र न्याय प्राप्त करने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना है। इसके बावजूद विचाराधीन महिला बंदियों के प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसी प्रकार **शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य** तथा **आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** के निर्णयों में महिला बंदियों तथा उनके साथ रहने वाले बच्चों की

सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मानजनक जीवन के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए गए हैं, किन्तु इनका पूर्ण अनुपालन सभी कारागारों में समान रूप से नहीं हो पा रहा है।

धार जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नियमित चिकित्सकीय परीक्षण, स्वच्छता संबंधी सामग्री की उपलब्धता तथा पुनर्वास कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। केवल कारागार के भीतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में पुनः सम्मानजनक पुनर्स्थापन भी समान रूप से आवश्यक है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि महिला अपराधिता के पीछे अनेक सामाजिक कारण, जैसे घरेलू हिंसा, आर्थिक अभाव, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव तथा सामाजिक असुरक्षा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अतः महिला बंदियों के अधिकारों की रक्षा केवल कारागार सुधार तक सीमित न रहकर व्यापक सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई है।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि धार जिला जेल में महिला बंदियों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान लागू हैं, किन्तु जिला जेल होने के कारण उपलब्ध संसाधन एवं सुधारात्मक व्यवस्थाएँ केन्द्रीय जेलों की तुलना में सीमित हैं। चूँकि यहाँ केवल विचाराधीन महिला बंदियों को रखा जाता है तथा दोषसिद्ध महिला बंदियों को केन्द्रीय जेल, इंदौर भेज दिया जाता है, इसलिए कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास संबंधी गतिविधियाँ अपेक्षाकृत कम हैं। इसके बावजूद जेल प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से विधिक सहायता एवं आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का निरंतर प्रयास करते हैं।

धार जिले की महिला बंदियों के विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान, विभिन्न अधिनियमों, न्यायालयों के निर्णयों तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में पर्याप्त विधिक व्यवस्था उपलब्ध है। इसके बावजूद इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन अनेक प्रशासनिक, आर्थिक तथा संरचनात्मक कारणों से अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है।

महिला बंदियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, मानसिक परामर्श, मातृत्व संरक्षण, बच्चों की देखभाल, निःशुल्क विधिक सहायता तथा पुनर्वास जैसी सुविधाएँ प्रभावी रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है। यह केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा तथा सामाजिक न्याय की भी अनिवार्य आवश्यकता है।

सिफारिशें

- धार जिले में महिला बंदियों के लिए पृथक महिला कारागार अथवा आधुनिक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए।
- नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्त्री रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- प्रत्येक महिला बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता तथा उसके प्रकरण की नियमित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- धार जिला जेल में विचाराधीन महिला बंदियों के लिए अल्पकालीन कौशल विकास, जीवनोपयोगी प्रशिक्षण, विधिक जागरूकता तथा परामर्श कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाएँ तथा दोषसिद्ध महिला बंदियों को केन्द्रीय जेल, इंदौर स्थानांतरित होने के पश्चात दीर्घकालीन पुनर्वास एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण से जोड़ा जाए।
- कौशल विकास, स्वरोजगार प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।

- संयुक्त राष्ट्र के बैंकॉक नियमों तथा आदर्श कारागार नियमावली का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समय–समय पर स्वतंत्र निरीक्षण एवं मूल्यांकन कराया जाए।
- कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लैंगिक संवेदनशीलता तथा मानवाधिकार विषयक नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- महिला बंदियों के परिवार से नियमित संपर्क, सामाजिक पुनर्वास तथा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु समन्वित नीति लागू की जाए।

इन उपायों के माध्यम से महिला बंदियों को गरिमापूर्ण जीवन, प्रभावी न्याय तथा समाज में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापन का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का संविधान।
2. जेल अधिनियम, 1894।
3. आदर्श कारागार नियमावली, 2016।
4. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, भारत में कारागार सांख्यिकी ।
5. संयुक्त राष्ट्र, महिला बंदियों तथा महिला अपराधियों के लिए गैर–कारावास उपायों संबंधी बैंकॉक नियम, 2010।
6. संयुक्त राष्ट्र, नेल्सन मंडेला नियम।
7. शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, उच्चतम न्यायालय।
8. आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, उच्चतम न्यायालय।
9. हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य, उच्चतम न्यायालय।
10. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वार्षिक प्रतिवेदन।
11. मध्य प्रदेश जेल विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन।
12. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की उपलब्ध प्रतिवेदन एवं अभिलेख।
13. महिला बंदियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न शोध–पत्र, शोध–प्रबंध एवं विधिक पत्रिकाएँ।

❑❑❑